भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 114

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

छात्रों पर ऋण का बोझ

†114. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेष रूप से बढ़ती शिक्षा लागत के संदर्भ में छात्रों और उनके परिवारों पर शिक्षा ऋण के बढ़ते बोझ से अवगत है;

(ख) छात्रों द्वारा उनके ऋण चुकाने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें ऋण माफी या ब्याज सब्सिडी के लिए कोई पहल शामिल है;

(ग) क्या सरकार के पास उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से हाशिए पर स्थित और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को बढ़ाने की कोई योजना है;

(घ) मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है जिसमें वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों की सहायता करने में उनकी पहुंच और प्रभावशीलता शामिल है;

(ङ) क्या सरकार ने मौजूदा ऋण और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में जरूरतों और अंतराल का आकलन करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और छात्र संगठनों से परामर्श किया है; और

(च) देश भर में हाशिए पर स्थित छात्रों के लिए नामांकन दर बढ़ाने, ड्रॉपआउट दरों को कम करने और समग्र शैक्षिक समानता में सुधार करने पर इन पहलों के प्रत्याशित परिणाम क्या रहे?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मॉडल शिक्षा ऋण योजना के तहत बैंकों द्वारा छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना को अंतिम बार 2022 में संशोधित किया गया था। इसका ब्यौरा https://www.iba.org.in/retail-banking/educational-loan-scheme.html पर उपलब्ध है। ऋण के बोझ को कम करने के लिए, ब्याज की गणना अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि जमा एक वर्ष) के दौरान शिक्षा ऋण की बकाया मूल राशि पर साधारण वार्षिक दर पर की जाती है। इसके अलावा, अधिस्थगन अवधि के बाद 15 साल तक पुनर्भुगतान किया जा सकता है।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 06.11.2024 को गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान (क्यूएचईआई) के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना पीएम-विद्यालक्ष्मी का अनुमोदन किया है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, कोई भी छात्र जो क्यूएचईआई में प्रवेश प्राप्त करता है, वह बैंकों से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने और वित्तीय संस्थानों से ट्यूशन शुल्क और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए पात्र होगा । इसके अलावा, पीएम-विद्यालक्ष्मी के तहत, अधिस्थगन अवधि के दौरान 3% ब्याज सब्सिडि सहायता प्रत्येक वर्ष एक लाख नए छात्रों को दी जाएगी, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और किसी भी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडि योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सहायता योजना (सीएसआईएस) के तहत भारत में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सहायता के रूप में छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दिशा-निर्देश https://www.education.gov.in/scholarships-education-loan-4 पर उपलब्ध हैं।
सरकार हाशिए पर स्थित और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। स्लॉट की संख्या, प्रदान की गई सहायता और पात्रता मानदंड सहित इन योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:

क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग**	**वेबसाइट लिंक**
1.	उच्चतर शिक्षा विभाग	https://www.education.gov.in/pm-usp-scholarships-education-loan
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	https://www.ugc.gov.in/Home/student_Corner
3.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	https://www.aicte-india.org/bureaus/rifd/Scholarship-Schemes
4.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	https://socialjustice.gov.in/scheme-cat
5.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	https://tribal.nic.in/ScholarshiP.aspx
6.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=2&ls_id=661&lid=823
7.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	https://dst.gov.in/inspire-scheme-innovation-science-pursuit-inspired-research

उपर्युक्त छात्रवृत्ति योजनाएं देश भर में फैली हुई हैं, और वंचित पृष्ठभूमि के आवेदक योजना की पात्रता शर्तों और मानदंडों के अनुसार योजना का लाभ उठा सकते हैं। हितधारकों के साथ परामर्श, अर्थात् छात्र और शैक्षणिक संस्थान एक सतत प्रक्रिया है। इन योजनाओं में परिकल्पना की गई है कि वित्तीय अड़चनों के कारण कोई भी पात्र और मेधावी छात्र उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे।

*****